

8	राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम/कृषि अभियान्त्रिकी उपमिशन (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	समस्त श्रेणियों के कृषक (लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति व महिला कृषक)	ट्रैक्टर (8-20 हार्स पॉवर) 50 प्रतिशत की सहायता अधिकतम 2.25 लाख रूपये, ट्रैक्टर (20-40 हार्स पॉवर) 50 प्रतिशत की सहायता अधिकतम 3.00 लाख रूपये, ट्रैक्टर (40-70 हार्स पॉवर) 50 प्रतिशत की सहायता अधिकतम 5.00 लाख रूपये, पॉवर टिलर (8 हार्स पॉवर तक या इससे अधिक) 50 प्रतिशत की सहायता अधिकतम 0.85 लाख रूपये, पॉवर वीडर 50 प्रतिशत की सहायता अधिकतम 0.25 लाख की सहायता, कस्टम हायरिंग केन्द्र के तहत कृषि मशीनीकरण बैंक की स्थापना हेतु 40 प्रतिशत की सहायता।	आवेदन की कोई फीस नहीं है।	आधार कार्ड की प्रति, जमीन की जमाबन्दी/ततीमा की प्रति, बैंक अकाउंट का ब्यौरा खरीदी जाने वाली मशीन का प्रोफार्मा बिल इत्यादि।	नजदीक के विकास खण्ड पर नियुक्त विशेषज्ञ (कृषि) या कृषि विकास अधिकारी	सामान्य आवेदन
---	--	---	---	---------------------------	---	--	---------------